सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा द्वारा आगामी त्यौहार बकरीद के दृष्टिगत थानाक्षेत्र के ग्राम प्रधान व संभ्रात व्यक्तियों, धर्मगुरुओं के साथ थाना परिसर पर पीस कमेटी की गोष्ठी कर त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने की अपील की गयी।

अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शुबेंदु सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता के उपस्थित में आज दिनांक 28.05.2025 को थाना परिसर पर आगामी त्यौहार बकरीद के संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई तथा त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु थाना क्षेत्र के भिन्न भिन्न ग्रामो के ग्राम प्रधान, सम्भ्रान्त व्यक्तियो, धर्मगुरुओं/सदस्यों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई। सभी को शान्तिपूर्ण, सौहार्दपूर्वक,त्यौहार को मनाये जाने की अपील की गयी । बैठक में मौजूद सभी व्यक्तियों से त्यौहार के दृष्टिगत शासन/उच्चाधिकारीगण द्वारा प्राप्त गाइडलाइन से अवगत कराया गया । शान्ति व्यवस्था को मुख्य रुप से विषयवस्तु बनाकर विस्तृत चर्चा किया गया,आदेश–निर्देश से अवगत कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जिसमें कुल 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमे 04 भूमि-विवाद तथा 01 मारपीट व 09 अन्य प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना ढेबरुआ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 03 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा।

डॉ. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ के कुशल पर्वेक्षण एवं गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में थाना ढेबरुआ पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.05.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2025 धारा 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्तगण को ग्राम सिसवा उर्फ शिवभारी से गिरफ्तार कर धारा 109(a) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अर्जुन मौर्या पुत्र रामसेवक मौर्या निवासी सिसवा उर्फ शिवभारी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

2.रामबृक्ष मौर्या पुत्र चिनकू मौर्या निवासी सिसवा उर्फ शिवभारी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

3.प्रदीप उर्फ जगतराम मौर्या पुत्र चिनकू मौर्या निवासी सिसवा उर्फ शिवभारी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 राजाराम यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

2.हे0का0 हरिकेश बहादुर, अवनीश प्रताप सिंह, अमरेश कुमार पाण्डेय थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆अनाधिकृत रुप से आधार कार्ड बनाने व संशोधन करने वाले 02 अभियुक्तगण को थाना इटवा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

◆गिरफ्तार अभियुक्तगण को आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व शुबेन्दू सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में दिनांक 27.05.2025 को श्याम सुन्दर तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर मय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि कस्बा इटवा में दो व्यक्ति माता प्रसाद जायसवाल इण्टर कालेज गेट के निकट स्थित शिव मन्दिर के पास स्थित एक दुकान मे अनाधिकृत रुप से आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे है इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक इटवा मय हमराह पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर दुकान में अनाधिकृत रुप से आधार कार्ड बनाते समय 02 व्यक्तियों 1. फिरोज आलम 2. शिवबालक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आधार कार्ड बनाने के उपकरण एक अदद लैपटाप HP कम्पनी, एक अदद प्रिंटर HP कम्पनी का, एक अदद फिंगर प्रिंट कोजेन्ट कम्पनी का, एक अदद IRIS कोजेन्ट कम्पनी, एक अदद माउस, चार्जर, यू0एस0बी0, फार्म आधार इंरोलमेन्ट/ अपडेट फार्म (चाइल्ड 5-18 वर्ष), आधार स्लिप बरामद कर । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटवा पर मु0अ0सं0 86/2025 धारा 318(4)/338/336(3) BNS व 34 आधार अधिनियम 2016 का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को आज दिनांक 28.05.2025 माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस द्वारा अभियुक्तो से कड़ाई से पूछताछ फिरोज आलम द्वारा बताया गया कि परवेश यादव निवासी जैतापुर थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर ने मो0 जावेद की यूआईडी लागिन कर लैपटाप, फिंगरपिन्ट स्कैनर आईरिश स्कैनर दिया है जिससे हम दोनो लोग मिलकर ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होती है उनकी जन्मतिथि 18 वर्ष से कम दिखाकर उनका आधार कार्ड बना दिया जाता है बाद में

उनकी जन्मतिथि संशोधित कर दी जाती है । आईडी मो0 जावेद के नाम से है एनीडेक्स साफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग यह कार्य करते है । यहा हम लोग दिन भर आधार बनाने व आधार संशोधन का कार्य करते है जिसकी मानीटरिंग आईडी धारक द्वारा अपने सिस्टम पर की जाती है जो भी मुनाफा होता है हम लोग आपस मे बाट लेते हैं ।

बरामदगी का विवरण –

आधार कार्ड बनाने के उपकरण एक अदद लैपटाप HP कम्पनी, एक अदद प्रिंटर HP कम्पनी का, एक अदद फिंगर प्रिंट कोजेन्ट कम्पनी का, एक अदद IRIS कोजेन्ट कम्पनी, एक अदद माउस, चार्जर, यू0एस0बी0, फार्म आधार इंरोलमेन्ट/ अपडेट फार्म (चाइल्ड 5-18 वर्ष), आधार स्लिप

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. फिरोज आलम पुत्र इमाम हसन निवासी ग्राम सहरसपाली पोस्ट बलिया थाना कोतवाली जनपद बलिया
2. शिवबालक पुत्र श्री तुलसीराम निवासी ग्राम अमौना थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. SHO श्याम सुन्दर तिवारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. हे0का0 राकेश पटेल थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
4. का0 प्रवीन कुमार थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
5. का0 नरेन्द्र देव चौहान थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
6. का0 रबिश यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 28-05-2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में चलाये जा रहे परिवार परामर्श केंद्र जब/नई-किरण(टूटते परिवार को जोडने की एक पहल कार्यक्रम) के तहत महिला थाना द्वारा 03 परिवार के मध्य सुलह समझौता कराकर उनके परिवारो को बिखरने से बचाया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 28.05.2025 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । जिसमें परामर्श के बाद 03पत्रावली का सफल निस्तारण कर 03 परिवारों को बिखरने से बचाया गया व 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है 03 परिवार को बिखरने से बचाने में थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान , उपनिरीक्षक राम नारायण, उप निरीक्षक मीरा वर्मा शुक्ला, म0हे0का सत्या त्रिपाठी ,सविता सिंह, म0का0नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण निम्न हैं-

01. शीला पत्नी चंदन साकिन मोहाना बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

02. गुड़िया पत्नी मोहम्मद हुसैन साकिन असगवा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

03.सुमन पत्नी लालबाबू साकिन सडवा थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

प्रेस नोट- दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष मे अभियोजन कार्यो के संबंध मे गोष्ठी की गयी।

आज दिनांक 28.05.2025 को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर डॉ0 राजा गणपति आर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष मे अभियोजन के कार्यों के संबंध मे गोष्ठी कर जनपद मे पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों तथा टॉप-10 **अपराधियों को सजा दिलाने व न्यायालय मे लम्बित वादो के निस्तारण के सम्बन्ध मे गोष्ठी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।**

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना मोहाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी टॉप-10 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 28.05.2025 को वाद सं0 20/2017 मु0अ0सं0 1624/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहाना मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मो0 रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा चिह्नित टॉप-10 अभियुक्त असगर अली उर्फ किनकिन उर्फ भिड़की उर्फ उसमान अली पुत्र कतीबन बंजारा उर्फ फूलचन्द्र बंजारा निवासी गोपीजोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 20ग एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पूरन यादव थाना मोहाना का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मिश्रौलिया व सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार ईद-उल-जुहा (बकरीद) के दृष्टिगत अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान व सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी गोष्ठी की गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष खेसरहा व प्रभारीनिरीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आगामी त्यौहार ईद उल जुहा (बकरीद) के दृष्टिगत आज दिनांक 28.05.2025 को अपने-अपने थानाक्षेत्र के ग्राम प्रधान, सम्भ्रांत व्यक्तियों व विभिन्न धर्मो के धर्मगुरुओ के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी की गयी व शासन द्वारा जारी गाइड लाईन व उच्चाधिकारीगणो द्वारा प्राप्त आदेश निर्देश से अवगत कराया गया तथा उक्त त्यौहार को सकुशल, सांमजस्य पूर्ण तरीके से व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखते हुए त्यौहार को सम्पन्न कराने की अपील की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा आगामी त्यौहार ईद-उल-जुहा (बकरीद) के दृष्टिगत थाना खेसरहा पर थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान व सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी गोष्ठी की गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा आगामी त्यौहार ईद उल जुहा (बकरीद) के दृष्टिगत आज दिनांक 28.05.2025 को थाना खेसरहा पर थानाक्षेत्र के ग्राम प्रधान, सम्भ्रांत व्यक्तियों व विभिन्न धर्मो के धर्मगुरुओ के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी की गयी व शासन द्वारा जारी गाइड लाईन व उच्चाधिकारीगणो द्वारा प्राप्त आदेश निर्देश से अवगत कराया गया तथा उक्त त्यौहार को सकुशल, सांमजस्य पूर्ण तरीके से व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखते हुए त्यौहार को सम्पन्न कराने की अपील की गयी। इस दौरान थानाध्यक्ष खेसरहा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट- दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा नेपाल बॉर्डर पर तस्करी के रोकथाम के संबंध में की गयी समीक्षा बैठक।

आज दिनांक 28.05.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार मे डॉ0 राजा गणपति आर0 जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा एससबी, आईबी, कस्टम व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ भारत - नेपाल सीमा पर मानव तस्करी, संदिग्ध व्यक्तियों, नशीली दवाओं/अवैध शराब आदि की तस्करी व सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु गोष्ठी किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में चेकिंग/पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 28.05.2025 को समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा आगामी त्यौहार ईद-उल-जुहा (बकरीद) तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु रुट मार्च व चेकिंग किया गया तथा अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हॉट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस पास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की गहनता से चेकिंग/पैदल गश्त तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।

प्रेस नोट- दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना बांसी पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन मे व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बाँसी के पर्यवेक्षण एवं संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2025 को थाना बांसी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का अधिपत्र वाद संख्या 4425/21 सरकार बनाम वाहिद उर्फ गाल्डी आदि धारा 179 A Act **में वारण्टी वाहिद उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उक्त गिरफ्तार वारण्टी को माननीय न्यायालय भेजा गया।**

गिरफ्तार वारंटी का विवरणः-

01. **वाहिद उर्फ गोल्डी पुत्र वाजिर साकिन गौतमबुद्धनगर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ0नि0 शम्स जावेद खान थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

02.का0 देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- दिनांक 28.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ **पूर्व सीएम व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनपद में आगमन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन में हेलीपैड व BSA ग्राउंड में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।**

पूर्व सीएम व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनपद में आगमन के दृष्टिगत डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 28.05.2025 को कार्यक्रम स्थल बीएसए ग्राउंड व पुलिस लाइन में हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य विभिन्न बिन्दुओं पर गहनता एवं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया|